(361)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

/17–18 निगरानी / पी0बी0आर0
प्रमांक/भिण्ड/भूअन्य/2017/4490

राधेश्याम पुत्र श्री तेज सिंह उम्र 50 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम आलौरी तह0 गोहद जिला भिण्ड
——————आवेदक

आज 15-11-17 को अभि. चंदा राजोरिया द्वारा प्रस्तुत।
15-11-17
पे.दि. 17-11-17

बनाम्

1. रामप्रसाद , (मृतक)ग्यादीन छोटे पुत्रगण चिरौंजी
2. भगौना उर्फ भगवान सिंह पुत्र सूखे जाति प्रजापति निवासी ग्राम आरौली तह0 गोहद जिला भिण्ड
——————अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भ0रा0संहिता 1959 विरुद्ध तहसीलदार गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमाक 82/15–16 अ–6 में पारित आदेश दिनॉक 31–10–2017

महादय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. यह है कि अनावेदक रामप्रसाद द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे कमाक 1556 रकवा 0.29 हे0 मोजा आरौली तह0 गोहद जिला भिण्ड में स्थित का डिग्री के मुताविक राजस्व रिकार्ड में अमल कराये जाने वावत् आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
2. यह है कि अधीनस्य न्यायालय द्वारा प्रकरण को अ–6 में पंजीबद्ध कर प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनॉक 14–07–2017 तिथि नियत की थी तथा नियत दिनॉक को अनावेदक रामप्रसाद व उनके अभिभाषक उपस्थित न होने के कारण प्रकरण नियत दिनॉक को अदम पैरवी में खरिज कर दिया गया।
3. यह है कि दिनॉक 02–08–2017 को अनावेदक रामप्रसाद की ओर से म0प्र0भ0रा0संहिता की धारा 35(3) का आवेदन पत्र विना शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया। ओर उक्त आवेदन पत्र का जवाव आवेदक राधेश्याम की ओर से अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओर जवाव में आवेदक द्वारा उल्लेख किया की अनावेदक रामप्रसाद आदि द्वारा बीमारी के सम्वध में कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया। ओर अभिभाषक अन्य प्रकरण में व्यस्त होने का अधीनस्य न्यायालय में समाधान कारण नहीं वताया गया। फिर भी अधीनस्य न्यायालय द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 35(3) का आवेदन पत्र स्वीकार करने

कंमश................2

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4490

राधेश्याम विरूद्ध रामप्रसाद (मृतक) वारिसान–ग्यादीन व चिरौंजी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गोहद, जिला–भिण्ड के प्र. क्र. 82/2015–16/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 31–10–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–भिण्ड के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ . पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 11.3.19	